संख्या-77/2023/452/23-10-2023-14(सा0)/2023

प्रेषक,

लाल धीरेन्द्र राव,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उ0प्र0 लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-10 **लखनऊः दिनांक 27 मार्च, 2023**

विषयः- वित्तीय वर्ष 2022-2023 में जनपद औरैया में बिलराया पनवाड़ी (राज्य मार्ग-21) के किमी0-318 में स्थित शेरगढ़ घाट पर यमुना नदी स्थित दीर्घ सेतु की प्रशासकीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कार्यालय प्रमुख अभियंता(सेतु विंग), लो0नि0वि0, उ0प्र0 के पत्र संख्या-04/प्रा0-आगणन-औरैया(शेरगढ़ घाट)/सेतु-6/22-23 दि0 02.01.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि **जनपद औरैया में बिलराया पनवाड़ी (राज्य मार्ग-21) के किमी0-318 में स्थित शेरगढ़ घाट पर यमुना नदी स्थित दीर्घ सेतु के मरम्मत हेतु उपलब्ध कराये गये लागत रू0 133.94 लाख** के प्रस्ताव के सापेक्ष रू0 66.97 लाख (रू0 छियाछठ लाख सत्तानबे हजार मात्र) हेतु श्री राज्यपाल निम्नलिखित तालिकानुसार तथा अंकित शर्तों एवं प्रतिबन्धों सहित प्रशासकीय स्वीकृति सहर्ष प्रदान करते हैः-

(धनराशि लाख रूपये में)

क्रम सं0	जनपद कार्य का विवरण	परीक्षणोपरान्त आंकलित लागत	वित्तीय वर्ष 2022-23 में प्रशासकीय स्वीकृति
1	2	3	4
1	**जनपद औरैया में बिलराया पनवाड़ी (राज्य मार्ग-21) के किमी0-318 में स्थित शेरगढ़ घाट पर यमुना नदी स्थित दीर्घ सेतु।**	133.94	66.97
	योग-	133.94	66.97

रू0 66.97 लाख (रू0 छियाछठ लाख सत्तानबे हजार मात्र)

नियम व शर्ते/प्रतिबन्धों

(1) प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक-07 जून,2022 एवं यथा संशोधित शासनादेश संख्या-23/2022/बी-1-749/दस-2022-231/2022 दिनांक-04 नवम्बर, 2022 में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा ।

http://shasanadesh.up.gov.in/GO/INTRA

(2) शासनादेश सं0-42/2022/212/23-10-21-10(ब)/2017 दिनांक 21.04.2022 एवं शासनादेश सं0-0-69/2022/683/001/683/23-10-22-10(ब)-2017 दिनांक 17.08.2022 में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- प्रश्नगत कार्य पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2022-23 में राज्य योजना (सामान्य) के अनुदान संख्या-57 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-3054-सड़क तथा सेतु-04-जिला तथा अन्य सड़कें- 800-अन्य व्यय-04-पुलों का अनुरक्षण एवं मरम्मत-29-अनुरक्षण मद में प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0 के निवर्तन पर रखी गयी धनराशि रू0 50.00 करोड़ में से वहन किया जायेगा तथा उक्त कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक-07 जून, 2022 मे प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(लाल धीरेन्द्र राव)
विशेष सचिव।

संख्या-77/2023/452/23-10-23-14(सा0)/2023-तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- निजी सचिव, मा0 मंत्री जी।
2- महालेखाकार, प्रथम (निर्माण), उ0प्र0, प्रयागराज।
3- संबंधित मण्डलायुक्त/ जिलाधिकारी।
4- मुख्य अभियन्ता (सेतु) लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
5- मुख्य अभियन्ता, कानपुर क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग, कानपुर।
6- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8।
7- समाज कल्याण (बजट प्रकोष्ठ)/राज्य योजना आयोग अनुभाग-1/2 ।
8- बजट आवंटन अधिकारी, लो0नि0वि0, उ0प्र0 शासन।
9- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(लाल धीरेन्द्र राव)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in/GO/NITRA